"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2007— पौष 7, शक 1929

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-1-1/2007/1/2.—श्री बी. एल. तिवारी, भा. प्र. से. (1996), कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री के. आर. पिस्दा, भा. प्र. से. (1996), कलेक्टर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. श्री बी. पी. एस. नेताम, भा. प्र. से. (1996), कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री बी. पी. एस. नेताम, (भाप्रसे, 96) द्वारा संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अवध बिहारी, सचिव, कृषि विभाग एवं गन्ना आयुक्त एवं संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें केवल संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के प्रभार से मुक्त होंगे.

5. श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से. (2000), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), कलेक्टर, कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री कमलप्रीत सिंह, भा. प्र. से. (2002), अपर कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री आलोक अवस्थी, भा. प्र. से. (2002), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टरेट रायपुर एवं अपर संचालक, जनसंपर्क को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री बी. के. अग्रवाल रा. प्र. से., अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त सचिव, पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-1-16/2007/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 4-14-2007 - EO (SM: II), दिनांक 8-11-2007 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अधिसूचना क्रमांक F. No. 8-7/2006 U. 5, दिनांक 23-11-2007 के तारतम्य में श्री एस. व्ही. प्रभात, भा. प्र. से. (सी. जी. 1979), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल, परिवहन एवं विमानन विभाग तथा परिवहन आयुक्त की सेवाएं भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली को Chairman, National Council of Rural Institutes, Hyderabad के पद पर नियुक्ति हेतु गैर केन्द्रीय स्टाफ योजना (NCSS) के अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिए सौंपी जाती है.

2. श्री एन. के. असवाल, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, गृह, जेल, परिवहन एवं विमानन विभाग तथा परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7-15/2007/1/2.—श्री डी. डी. सिंह, भा. प्र. से., कलेक्टर, जशपुर को दिनांक 17-12-2007 से 22-12-2007 तक (06 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16 एवं 23 दिसम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक कलेक्टर, जशपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सिंह के उक्त अर्जित अवकाश अवधि में श्री एच. एल. नायक, रा. प्र. से., अपर कलेक्टर, जशपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जशपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007.

क्रमांक ई-7/50/2004/1/2.—श्रीमती निहारिका बारिक, भा. प्र. से., आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 22-12-2007 से 28-12-2007 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बारिक आगामी आदेश तक आवसीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती बारिक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बारिक अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/3/2006/1/2.—श्री जे. मिंज, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 16-10-2007 से 20-11-2007 (36 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-11-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 01-01-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से., कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 22-12-2007 से 29-12-2007 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-12-2007 एवं 30-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री साहू के उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. एल. रात्रे, भा. प्र. से., अपर कलेक्टर, दुर्ग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, दुर्ग का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2007

क्रमांक 4758/2269/2007/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. कलेक्टर, बस्तर को दिनांक 14-12-2007 को एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला-बस्तर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जिला बस्तर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 7-9/04/1/6.—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर, 2004 द्वारा गठित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में डॉ. श्रीमती रेखा मेश्राम, पार्षद, वार्ड क्रमांक-10, स्टेशनपारा, राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत करता है :-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, अवर सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ-1-10/दो (तीन-जेल) 2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा, जेल नियमावली के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष कालावधि के लिए नीचे कालम में दर्शित जेलों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है :-

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	क्र. (3)	अशासकीय संदर्शक का नाम (4)	पता (5)
1.	केन्द्रीय जेल, रायपुर	1.	श्रीमती सुमन ताई पराड़कर	बुढ़ापारा रायपुर
		2.	सुश्री परिणीता साहू	एन. 13 सेक्टर-2 अवंति विहार, रायपुर
		3.	श्री विकास मरकाम	ए-15 राधास्वामी नगर भाटागांव, रायपुर
		4.	श्री राजूराघवानी	तेलीबांधा, रायपुर
		5.	श्री प्रेम बिरनानी	पुरानी बस्ती, रायपुर
		6.	श्री मांगीलाल जैन	कांपा लोधी पारा, रायपुर
		7.	श्री लल्लू महावर	चौबे कालोनी, रायपुर
		8.	श्री राजेश पांडे	स्टेशन रोड, रायपुर
2.	केन्द्रीय जेल, जगदलपुर	1.	श्रीमती पार्वती कश्यप	फारेस्ट कालोनी संतोषी बाई वार्ड, जगदलपुर
		2.	श्री उत्तम लाल वर्मा	प्रतापदेव वार्ड, जगदलपुर
		3.	श्री संजय विश्वकर्मा	सुभाष वार्ड जगदलपुर
		4.	श्री साधूराम निषाद	विवेकानंद वार्ड, जगदलपुर
		5.	श्री अविनाश श्रीवास्तव	श्यामा प्रसाद वार्ड, जगदलपुर
		6.	श्री संग्राम सिंह राणा	जगदलपुर
		7.	श्री राजेन्द्र बाजपेयी	शांतिनगर वार्ड, जगदलपुर
		8.	श्रीमती सुधारानी	संजय गांधी वार्ड, जगदलपुर
3.	केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर	1.	श्री काशीनाथ तिवारी	केदारपुर अंबिकापुर
		2.	श्री कैलाश ठाकुर	गांधी नगर, अंबिकापुर
		3.	श्री त्रिलोक कपूर कुशवाह	अंबिकापुर
		4.	श्री संतोष दास	नमनाकला, अंबिकापुर
		5.	श्री संतोष गुप्ता	श्री वाच सेंटर देवीगंज रोड, अंबिकापुर
		6.	श्रीमती माया मिश्रा	सत्तीपारा, अंबिकापुर
		7.	श्रीमती देवकी त्रिपाठी	ब्रम्हपारा, अंबिकापुर
		8.	श्री नक्षत्र सिंह	सरस्वती शिशु मंदिर के पास, अंबिकापुर
4.	केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	1.	श्री नारायण तावड़कर	मध्य नगरीय चौक, बिलासपुर
		2.	श्री अरूण सिंह	चाटापारा, बिलासपुर
		3.	श्री पूर्णन्द्र शर्मा	मु. कड़ार पो. चकरभाटा, बिलासपुर
		4.	श्री द्वारिकेश पांडेय	मु. पो. सीपत, जि. बिलासपुर
		5.	श्री सुनील केसरी	दयालबंद, बिलासपुर
		6.	श्री रिंकू मिश्रा	विद्यानगर गायत्री मंदिर के पास, बिलासपुर
		7.	श्रीमती सरोजनी कुर्मी	सीपत रोड सरकंडा, बिलासपुर
		8.	श्री सोमव्रत चांकी	बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	केन्द्रीय जेल, दुर्ग	1.	श्री राजेश ताम्रकार	ढीमरपारा दुर्ग
		2.	श्री अमर सिंह यादव	धमधा नाका, दुर्ग
		3.	श्री काशीनाथ शर्मा	ब्राम्हणपारा, दुर्ग
		4.	श्री कमल सिंह साहू	मु. कुरूद, दुर्ग
		5.	श्रीमती गिरजा तिवारी	मु. जेवसरा सिरसा, दुर्ग
		6.	श्री तामेश्वर साहू	तितुरडीह, दुर्ग
		7.	श्रीमती ज्वाला रामटेके	गिरधारी नगर, दुर्ग
		8.	श्री प्रेम सिंह राणा	नेहरू नगर, दुर्ग
6.	जिला जेल दन्तेवाड़ा	1.	श्री रहिमन यादव	मु. पो. कुंआकाण्डा, दन्तेवाड़ा
		2.	श्री बदरू राम नेताम	मु. पो. टेकनार, दन्तेवाड़ा
		3.	श्री दुर्गा प्रसाद चौहान	मु. पो. गाड़ीराज, दन्तेवाड़ा
7.	जिला जेल धमतरी	1.	श्री दयाशंकर सोनी	मु. पो. धमतरी
		2.	श्री शैलेन्द्र धनुसेवक	मु. पो. नगरी, सिहावा
		3.	श्री राजेन्द्र सेन	मु. बेलोरा पो. मोहदी, धमतरी
8.	जिला जेल बैकुन्ठपुर	1.	श्री आशीष गुप्ता	बाजार पारा, बैकुन्ठपुर
		2.	श्री सुवेज अहमद (नेपालू)	महलपारा रोड, बैकुन्ठपुर
		3.	श्री विजय राजवाड़े	सरडी बैकुन्ठपुर, कोरिया
9.	जिला जेल महासमुन्द	1.	श्री द्वारिका चन्द्राकर	मु. बेमचा, जि. महासमुन्द
		2.	श्री प्रलय छिटे	वार्ड नं. 19, महासमुन्द
		3.	श्रीमती प्रभा साहू	वार्ड नं. 2, महासमुन्द
10.	जिला जेल जशपुर	1.	श्री ओम प्रकाश सिन्हा	बस स्टेन्ड, जशपुर
		2.	श्री आलोक राय (अधिवक्ता)	करबला रोड, जशपुर
		3.	श्रीमती शीला गुप्ता	सन्ना रोड, जशपुर
11.	जिला जेल रायगढ़	1.	श्री सुरेश गोयल व. सागरमल जी	पूर्व पार्षद हटरी बाजार, रायगढ़
		2.	श्री रविन्द्र भाटिया व. भंवरसिंह भाटिया	कोतरा रोड, रायगढ़
		3.	श्री ओमप्रकाश शर्मा आ. अमीलाल शर्मा	मु. पो. घरघोड़ा, जि. रायगढ़
12.	जिला जेल राजनांदगांव	1.	श्री विजय जैन	गंज लाईन, राजनांदगांव
		2.	श्री संजय देवांगन	बजरंगपुर, नवागांव
		3.	श्रीमती सरिता उइके	स्टेशन रोड, राजनांदगांव
13.	जिला जेल कांकेर	1.	श्री सुन्दर हीरदानी	मांझापारा, कांकेर
		2.	श्री संजीव सोनी	उदयनगर, कांकेर
		3.	श्री जयराम शर्मा	लक्कीपारा, कांकेर
14.	जिला जेल कोरबा	1.	श्री अनूप अग्रवाल	होटल दीनदयाल कोरबा
		2.	श्री लोचन राठौर	काशीनगर बुधवारी बाजार, कोरबा
		3.	श्री बनारसी लाल यादव	दर्री, कोरबा
15.	जिला जेल जांजगीर	1.	श्री बद्रीप्रसाद कटकवार	जांजगीर
		2.	श्री किशोरी लाल श्रीवास	चांपा
		3.	श्री शिवधन शर्मा	मेंहदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	उप जेल रामानुजगंज	1.	श्री सुभाष जायसवाल	मु. पो. रामानुजगंज, जिला सरगुजा
		2.	श्री अमीरचंद	मु. पो. रामानुजगंज, जिला सरगुजा
17.	उप जेल गरियाबंद	1.	श्री मुरलीधर सिन्हा	मु. पो. गरियाबंद
		2.	श्री भागवत हरित	मु. पो. फिंगेश्वर
18.	उप जेल बलौदाबाजार	1.	श्री अनिल बघेल	बलौदाबाजार
		2.	श्री पुरूषोत्तम सोनी	बलौदाबाजार
19.	उप जेल डोंगरगढ़	1.	श्री चमन सोनी	मु. पो. गोलबाजार, डोंगरगढ़
		2.	श्री कैलाश तिवारी	मु. पो. डोंगरगढ़
20.	उप जेल बेमेतरा	1.	श्री मनबहल दुबे	बेमेतरा
		2.	श्री हितेन्द्र साहू	बेमेतरा
21.	उप जेल बालोद	1.	श्री कुलदीप कात्याल	बालोद
		2.	श्री सुबोध पवार	बालोद
22.	उप जेल सूरजपुर	1.	श्री सतीश कुमार गर्ग	बस स्टेन्ड के पास सूरजपुर
		2.	श्री अनिल गोयल (अधिवक्ता)	वकील कालोनी सूरजपुर
23.	उप जेल मनेन्द्रगढ़	1.	श्री विवेक अग्रवाल	वार्ड नं. 19 मनेन्द्रगढ़ कोरिया
		2.	श्री राजकुमार	महलपारा रोड, बैकुन्ठपुर
24.	उप जेल सारंगढ़	1.	श्री नित्यानंद बानी आ. श्री बसंत लाल बानी	मु. पो. नं. सारंगढ़ वार्ड नं. 5, जिला रायगढ़
		2.	श्री साहेबराम साहू आ. श्री घसियादाउ	मु. नावागांव पो. केडार जिला रायगढ़
25.	उप जेल पेण्ड्रा गौरेला	1.	श्री किशोर जैन	पेण्ड्रारोड, गौरेला
		2.	श्यामा कंवर	गौरेला
26.	उप जेल कटघोरा	1.	राकेश पांडेय	कटघोरा
		2.	श्री पवन अग्रवाल	जयस्तंभ चौक के पास हटरी कटघोरा

Raipur, the 12th December 2007

No. E-1-10/Two (Three-Jail) 01.— In exercise of the powers given in Rule 815 (1) of Chhattisgarh jail Manual the State Government here by appoint following persons as Non Official Members for Jails as given in below mentioned columns for further 03 years from date of appointment :-

S. No.	Name of Jail	S. No.	Name of Non- Official Member	Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Central Jail, Raipur	1.	Smt. Sumantai Paradker	Budhapara, Raipur
		2.	Susri Parineeta Sahu	N. 13, Sec-2 Awanti Vihar, Raipur
		3.	Shri Vikas Markam	A-15, Radhaswami Nagar, Bhatgaon
		4.	Shri Rajuragavani	Telibandha, Raipur
		5.	Shri Prem Birnani	Purani Basti, Raipur
		6.	Shri Mangi Lal Jain	Kanpa Lodhipara, Raipur
		7.	Shri Lallu Mahawar	Chaubey Coloney, Raipur
		8.	Shri Rajesh Pandey	Station Road, Raipur
2.	Central Jail, Jagdalpur	1.	Smt. Parwati Kashyap	Forest Coloney, Santoshi Bai Ward, Jagdalpur.
		2.	Shri Uttatm Lal Verma	Pratapdev Ward, Jagdalpur
		3.	Shri Sanjay Vishwakarma	Subhash Ward, Jagdalpur
		4.	Shri Sadhuram Nishad	Vivekanand Ward, Jagdalpur
		5.	Shri Avinash Shrivastava	Shyamaprasad Ward Jagdalpur
		6.	Shri Sangram Singh Rana	Jagdalpur
		7.	Shri Rajendra Bajpai	Shantinager Ward Jagdalpur
		8.	Smt. Sudharani	Sanjay Gandhi Ward, Jagdalpur
3.	Central Jail, Ambikapur	1.	Shri Kashinath Tiwari	Kedarpur, Ambikapur
		2.	Shri Kailash Thakur	Gandhinagar Ward, Ambikapur
		3.	Shri Trilok Kapoor Kushwaha	Ambikapur
		4.	Shri Santosh Das	Namnakala, Ambikapur
		5.	Shri Santosh Gupta	Shri Watch Center Deviganj Road, Ambikapur.
		6.	Smt. Maya Mishra	Sattipara, Ambikapur
		7.	Smt. Devki Tripathi	Bramhapara Ambikapur
		8.	Shri Nakshatra Singh	Near Sarswati Sishu Mandir, Ambikapur.
4.	Central Jail, Bilaspur	1.	Shri Narayan Tawadkar	Madhya Nagri Chowk, Bilaspur
		2.	Shri Arun Singh	Chatapara Bilaspur.
		3.	Shri Purnandra Sharma	R/o Kadar, Post-Chakarbhata, Bilaspur.
		4.	Shri Dwarikesh Pandey	R/o Post-Seepat Distt. Bilaspur
		5.	Shri Suneel Kesari	Dayalband Bilaspur
		6.	Shri Rinku Mishra	Vidyanagar Near Gaytri Mandir, Bilaspur.
		7.	Smt. Sarojani Kurmi	Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur
		8.	Shri Somvrat Chakee	Bilaspur
5.	Central Jail, Durg	1.	Shri Rajesh Tamrakar	Dheemarpara, Durg
		2.	Shri Amar Singh Yadav	Dhamdha Naka, Durg
		3.	Shri Kashinath Sharma	Bramhanpara, Durg
		4.	Shri Kamal Singh Sahu	R/o Kurud, Durg
		5.	Smt. Girija Tiwari	R/o Jevsara Sirsa, Durg
		6.	Shri Tameshwar Sahu	Tituradih, Durg
		7.	Smt. Jwala Ramteke	Girdhari Nagar, Durg
		8.	Shri Prem Singh Rana	Nehru Nagar, Durg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	District Jail, Dantewada	1.	Shri Rahiman Yadav	R/o Post-Kunwakanda, Dantewada
		2.	Shri Badru Ram Netam	R/o Post-Teknar, Dantewada
		3.	Shri Durgaprasad Chouhan	R/o Post-Godiraj, Dantewada
7.	District Jail, Dhamtari	1.	Shri Dayashankar Soni	R/o Post-Dhamtari
		2.	Shri Shailend Dhanusevak	R/o Post-Nagari, Sihawa
		3.	Shri Rajendra Sen	R/o Belora, Post Mohadi, Dhamtari
8.	District Jail, Baikunthpur	1.	Shri Asheesh Gupta	Bazarpara, Baikunthpur
		2.	Shri Suvez Ahemad (Nepalu)	Mahalpara Road, Baikunthpur
		3.	Shri Vijay Rajwade	Saradi Baikunthpur, Koriya
9.	District Jail, Mahasamund	1.	Shri Dwarika Chandrakar	R/o Bemcha, Distt. Mahasamund
		2.	Shri Pralaya Chhite	Ward No. 19, Mahasamund
		3.	Smt. Prabha Sahu	Ward No. 2, Mahasamund
10.	District Jail, Jashpur	1.	Shri Omprakash Sinha	Bus Stand, Jashpur
		2.	Shri Alok Rai (Advocate)	Karbala Road, Jashpur
		3.	Smt. Sheela Gupta	Sanna Road, Jashpur
11.	District Jail, Raigarh	1.	Shri Suresh Goel S/o Sagarmalji	Ex. Municipal Council Member, Hatri Bazar, Raigarh.
		2.	Shri Ravindra Bhatiya S/o Bhanawar Singh Bhatiya	Katora Road, Raigarh
		3.	Shri Omprakash Sharma S/o Ammi Lal Sharma	R/o-Post Gharghoda, Distt. Raigarh
12.	District Jail, Rajnandgaon	1.	Shri Vijay Jain	Ganjline, Rajnandgaon
		2.	Shri Sanjay Devangan	Bajrangpur, Navagaon
		3.	Smt. Sarita Uikey	Station Road, Rajnandgaon
13.	District Jail, Kanker	1.	Shri Sunder Heerdani	Manjhapara Kanker
		2.	Shri Sanjeev Soni	Uday Nagar, Kanker
		3.	Shri Jayram Sharma	Luckypara, Kanker
14.	District Jail, Korba	1.	Shri Anup Agrawal	Hotel Deendayal, Korba
		2.	Shri Lochan Rathor	Kashi Nagar, Budhwari Bazar, Korba
		3.	Shri Banarsi Lal Yadav	Darri, Korba
15.	District Jail, Janjgir	1.	Shri Badri Prasad Katakwar	Janjgir
		2.	Shri Kishori Lal Shivas	Champa
		3.	Shri Shivdhan Sharma	Mehanda
16.	Sub Jail Ramanujganj	1.	Shri Subhash Jaiswal	R/o- Post- Ramanujganj, Distt.-Sarguja.
		2.	Shri Ameerchand	R/o- Post- Ramanujganj, Distt.-Sarguja.
17.	Sub Jail, Gariyaband	1.	Shri Murlidhar Sinha	R/o- Post- Gariyaband
		2.	Shri Bhagwat	R/o- Post- Fingeshwar
18.	Sub Jail, Balodabazar	1.	Shri Anil Baghel	Balodabazar
		2.	Shri Purushottam Soni	Balodabazar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Sub Jail, Dongargarh	1.	Shri Chaman Soni	R/o- Post- Golbazar, Dongargarh
		2.	Shri Kailash Tiwari	R/o- Post- Dongargarh
20.	Sub Jail, Bemetara	1.	Shri Manbahal Dubey	Bemetara
		2.	Shri Hitendra Sahu	Bemetara
21.	Sub Jail, Sanjaribalod	1.	Shri Kuldeep Katyal	Sanjari Balod
		2.	Shri Subodh Pawar	Balod
22.	Sub Jail, Surajpur	1.	Shri Satish Kumar Garg	Near Bus Stand, Surajpur
		2.	Shri Anil Goel (Advocate)	Vakeel Colony, Surajpur
23.	Sub Jail, Manendragarh	1.	Shri Vivek Agrawal	Ward No. 19, Manendragarh, Koriya
		2.	Shri Rajkumar	Mahalpara Road, Baikunthpur
24.	Sub Jail, Sarangarh	1.	Shri Nityanand Bani S/o Shri Basant Lal Bani	R/o- Post- Sarangarh, Ward No. 5, Distt. Raigarh.
		2.	Shri Sahedram Sahu S/o Shri Ghasia Dau	R/o Navagaon, Post- Kedar, Distt.-Raigarh.
25.	Sub Jail, Pendra-Gourela	1.	Shri Kishor Jain	Pendra Road, Gourela
		2.	Shyama Kanwar	Gourela
26.	Sub Jail, Katghora	1.	Shri Rakesh Pandey	Katghora
		2.	Shri Pawan Agrawal	Near Jay Stambh Chouk, Hatari Katghora.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 17 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	तिलकडीह प. ह. नं. 18	0.166	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 18 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प. ह. नं. 18	1.202	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 22 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोड़ी प. ह. नं. 18	1.437	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 23 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरा प. ह. नं. 18	0.061	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 24 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	चपोरा प. ह. नं. 6	0.064	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 25 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमामुड़ा प. ह. नं. 5	0.186	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	वेस्ट वियर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 26 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	डोंगी प. ह. नं. 18	0.101	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 27 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरिया प. ह. नं. 7	5.983	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 28 अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मोहदा प. ह. नं. 18	0.061	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जाँजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जाँजगीर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक -क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	अफरीद प. ह. नं. 10	0.036	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	अफरीद डि. क्यू. के माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जाँजगीर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक -क/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	अफरीद प. ह. नं. 10	0.283	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	अफरीद डि. व्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जाँजगीर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक -क/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	कमरीद प. ह. नं. 04	0.185	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	सोनिया पाठ माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जाँजगीर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक -क/भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	अमरूवा प. ह. नं. 05	0.024	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	फरसवानी उप शाखा अन्तर्गत अमरूवा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जाँजगीर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक -क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	खिरा प. ह. नं. 24	0.049	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	बिर्रा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक/10436/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	चिंगली प. ह. नं. 28	1.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन छुईखदान.	आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक/10794/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	अमलीडीह प. ह. नं. 01	0.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	अमलीडीह जलाशय के डुबान एवं बांध पार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक/10795/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पदुमतरा प. ह. नं. 13	1.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कुगनिया जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक/10796/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	महरूमखुर्द प. ह. नं. 19	10.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	हरडुवा जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक/10797/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	घुमका प. ह. नं. 04	0.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	रूसे जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक/10798/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कलकसा प. ह. नं. 01	0.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कलकसा जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	सरडीह प. ह. नं. 06	0.753	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सरडीह जलाशय योजना/जलाशय के डुबान क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	आस्ता प. ह. नं. 06	0.655	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सोगड़ा जलाशय योजना/जलाशय के नहर में में आने वाली भूमि का भू-अर्जन पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	सोगड़ा प. ह. नं. 14	0.825	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सोगड़ा जलाशय योजना/जलाशय के उलट नाली में आने वाली भूमि का भू-अर्जन पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	डड़गाँव प. ह. नं. 15	0.480	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर	डड़गांव जलाशय योजना/जलाशय के नहर में आने वाली भूमि का भू-अर्जन पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	लोहड़ापानी प. ह. नं. 08	9.511	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	लोहड़ापानी जलाशय योजना शीर्ष कार्य के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 03/अ- 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 75/10	233	0.24	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	लॉजिस्टिक हब निर्माण हेतु.
			162	0.37		
			163	1.31		
			164	3.23		
			165/2	1.40		
			165/3	1.00		
			166/1	0.02		
			166/2	0.74		
			170	4.15		
			180	0.54		
			181	0.38		
			184	0.70		
			230	1.15		
			231	1.15		
			232	1.65		
			234	0.23		
			235	0.21		
		योग	17	18.47		

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 04/अ. -82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	राखी प. ह. नं. 71/16	खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	नई राजधानी योजनान्तर्गत कैपिटल काम्पलेक्स हेतु.
			222	0.13		
			231	7.60		
			302	0.07		
			481	0.82		
			592	0.60		
			725	1.00		
			856	0.12		
		योग	7	10.34		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पताढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.20 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	298/2	0.20
योग	1	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना के अनुषंगी प्रयोजन इन्टेक वेल/सम्प वेल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कुदुरमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
302, 305	2.38
304	0.12
योग	2.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना के अनुषंगी प्रयोजन रॉ वाटर इन्टेक वेल/सम्प वेल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-खोड्डल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.14 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
61/34	0.90
61/35	0.36
61/58	0.36
61/59	0.36
61/60	0.36
61/61	0.36
61/40, 61/42, 61/44, 68/9	0.59
61/41, 61/43, 61/45, 69/10	0.59
290/4	0.40
208/8	0.30
61/39	0.36
योग	5.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना के अनुषंगी प्रयोजन इन्टेक वेल/सम्प वेल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पताढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
552	0.51
564/1	0.10
565/1	0.32
565/2	0.63
565/3	0.34
565/4	0.22
565/8	0.20
565/11	0.19
565/12	0.25
598/1	0.02
599	0.04
600/1	0.17
600/3	0.05

(1)	(2)
601	0.10
602, 603	0.10
604	0.02
606	0.01
607/1	0.05
607/2	0.05
607/3	0.05
613/1	0.14
613/2	0.25
654/1	0.05
योग	3.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना के अनुषंगी प्रयोजन रेल्वे लाईन बिछाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-पहन्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 13.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
148/2	0.02
148/3	0.46
152/1	0.57
172/3	
165/1	0.06
170/1	
170/4	0.04
171/1	0.20
171/2	0.08
231/2	0.10
250/3	0.40
172/2	0.45
172/6	
173/2	
174/8	
175	
176/2	
174/1	0.90
177/1	
174/3	1.00
174/4	0.58
191/1	0.10
191/2	0.71
192/1	0.04
192/2	0.11
193	0.03
194/4	0.30
194/6	0.38
194/7	
196/1	0.35
196/2	0.02
229/2	0.02
231/1	0.24
231/3	0.68
250/2	0.60
250/4	0.02
250/5	1.21
255/1	0.10
256	0.74
257	0.40
258	0.45
259	
264/2	
265	
266/2	
260	0.04
261/2	
261/4	0.03
262	1.18

(1)	(2)
263/2	0.04
271/2	0.20
272/2	0.10
682/1	0.20
योग	13.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना के अनुषंगी प्रयोजन रेल्वे लाईन बिछाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10788/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुमर्रा छुरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.58 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
93	0.80
94	0.74
99/1	0.12
99/2	0.13
95	0.50
98	0.17
97	0.12
योग 7	2.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुमर्रा छुरिया व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10789/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-गहिराभेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.33 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
470	1.60
472	0.40
474	3.05
475	0.30
476/1	0.59
476/2	0.59
476/3	0.44
476/4	1.00
476/5	0.04
473/1	0.02
477	0.70
478	0.28
479	1.30
480	0.02
योग 14	10.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय योजना के डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10790/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-टीपानगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
372	0.12
योग	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोटिया जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10791/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बैरागीभेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-51.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
631/1	4.00
631/2	1.00
631/3	1.00
632	2.90
609	0.46
629/1	1.25
629/2	1.10
604	2.30
629/3	1.10
607/1	1.05
607/2	0.26
607/3	1.05
607/4	1.00
608	3.04
614	2.00
626	1.02
627	0.30
625/6	0.35
628	7.15
625/5	0.92
625/1	0.14
625/4	1.20
591/1	1.55
584	3.55
591/2	0.70
603	0.32
602	0.15
601/1	0.11
600	0.05
578/1	0.70
581	4.20
582/1	1.05
582/2	1.05
582/3	1.63
583	1.74
योग 35	51.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय योजना के डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10792/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मटिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	334/1	0.12
योग		0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10793/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गर्रापार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.68 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	2/5	0.81
	2/3	0.56
	2/4	0.63
	2/1	0.48
	3/7	0.16
	3/6	1.50
	3/5	1.50
	3/3	0.95
	3/4	0.40
	3/2	0.40
	3/1	3.29
योग	11	10.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय योजना के डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th November 2007

No. 527/Confdl./2007/II-3-1/2007.— The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ramjivan Dewangan, Deputy Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority.	Bilaspur	Bijapur	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Gopal Krishana Neelam, Civil Judge Class-I & A. C. J. M.	Sakti	Narayanpur	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 21st November 2007

No. 534/Confdl./2007/II-3-48/2007.— The Order No. 371/Confdl./2007/II-3-48/2007, dated 31-07-2007 so far as it relates to the appointment of Shri Khelan Das, Retired Member of Higher Judicial Service as Special Judicial Magistrate, Durg, is hereby, cancelled.

Bilaspur, the 23rd November 2007

No. 538/Confdl./2007/I-8-6/2001(Pt.III).— Pursuant to the Order No. 6915/D-2019/21-B/C. G./2007 dated 08-08-2007 issued by Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affiars Department, Raipur, Shri Agralal Joshi, Member of Higher Judicial Service, who was earlier posted as Additional Registrar-Cum-Secretary, High Court Legal Services Committee in the establishment of the High Court of Chhattisgarh, shall now stand posted as Secretary, High Court Legal Services Committee under the establishment of the Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur with immediate effect.

Bilaspur, the 26th November 2007

No. 556/Confdl./2007/II-2-1/2007/II-15-21/2000 (Pt. IV).— The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Sahu, X Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)	Durg	Bemetara	Durg	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)

By order of the Hon'ble High Court.
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.